अध्याय-VII

निगरानी एवं सामाजिक अंकेक्षण

7.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए निगरानी ढांचा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 तथा मनरेगा की परिचालन दिशानिर्देश, 2013 में सतर्कता एवं निगरानी समितियों, जिला गुणवत्ता पर्यवेक्षकों, राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षकों, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के माध्यम से राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर निगरानी तथा छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित की गई है।

7.1.1 छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद द्वारा निगरानी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 तथा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अंतर्गत योजना की बहु-स्तरीय निगरानी विभिन्न समितियों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है, जिनमें छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद भी सम्मिलित है, जिसे प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक अपनी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी होगी। छत्तीसगढ़ में, इन दायित्वों के निर्वहन हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद तथा राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन फरवरी 2006 में किया गया था। योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् को न्यूनतम एक बैठक तथा राज्य स्तरीय सशक्त समिति को न्यूनतम दो बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित करना होता है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2019-24 की अवधि में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा केवल एक बैठक (वर्ष 2020-21 में) आयोजित की गई, जबकि राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा इस अवधि में कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी। निर्धारित बैठकों का आयोजन न किए जाने के कारण योजना के क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी प्रभावित हुई।

सरकार द्वारा (जुलाई 2025 में) यह बताया गया कि अंतिम बैठक दिनांक 27.02.2025 को आयोजित की गई थी।

7.1.2 राज्य एवं जिला गुणवत्ता पर्यवेक्षकों द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 14.7 के अनुसार, कार्यों के स्वतंत्र तकनीकी निरीक्षण एवं गुणवत्ता निगरानी हेतु राज्य स्तर पर अधीक्षण अभियंता अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारी को संचालक (गुणवत्ता निगरानी) के रूप में नियुक्त करते हुए एक राज्य गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना था। इसके अतिरिक्त, मनरेगा योजना दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया था कि जिला स्तर पर 10-15 सेवानिवृत्त अभियंताओं (सहायक अभियंता स्तर एवं उससे ऊपर) के पैनल वाली जिला गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ को ₹ पांच लाख एवं उससे अधिक लागत वाले पूर्ण तथा प्रगतिरत कार्यों के न्यूनतम 10 प्रतिशत कार्यों की निगरानी करनी थी एवं इन

निरीक्षणों के प्रतिवेदनों को नरेगासॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड किया जाना था तथा ग्राम पंचायतों द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मार्च 2025 तक राज्य स्तर पर कोई भी राज्य गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ गठित नहीं किया गया था। जून 2025 में, मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएं (तकनीकी) की अध्यक्षता में 29 सदस्यों के साथ एक राज्य गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त, चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त कोई भी जिला गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ गठित नहीं किया गया था। वर्ष 2019-24 के दौरान निष्पादित कार्यों एवं किए गए व्यय का विवरण **तालिका 7.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.1: ₹ 5 लाख से अधिक लागत वाले कार्यों की संख्या और व्यय

(₹ करोड़ में)

ज़िला	निष्पादित कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	व्यय
बलरामपुर	1653	293.63	186.93
दंतेवाड़ा	1659	178.56	145.56
जशपुर	2271	308.26	258.79
रायगढ़	3343	344.74	282.31
रायपुर	5480	603.72	486.04
सरगुजा	1382	133.56	91.64
योग	**15788**	**1862.47**	**1,451.27**

(स्रोत: सूचना प्रबंधन प्रणाली आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2019-24 के दौरान ₹ पांच लाख से अधिक लागत वाले 15,788 कार्यों पर कुल ₹ 1,451.27 करोड़ व्यय किए गए थे। हालांकि, जिला स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठ के अभाव के कारण योजना के तहत पूर्ण और प्रगतिरत कार्यों की निगरानी नहीं की जा सकी और निष्पादित कार्यों की अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

सरकार ने (जुलाई 2025) बताया कि राज्य गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ का गठन मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में की गई एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2025 में तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

7.1.3 अनिवार्य पंजियों का संधारण

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 में अनिवार्य पंजियों के संधारण का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और संचालन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक द्वारा सात पंजियों के उचित संधारण के लिए निर्देश एवं निर्धारित प्रारूप (2016) निर्धारित किए। ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित पंजियों और उनके उद्देश्य का विवरण **तालिका 7.2** में दिया गया है।

तालिका 7.2: ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित पंजियों का विवरण और उनका उद्देश्य

पंजी संख्या	पंजी का नाम	उद्देश्य	चयनित ग्राम पंचायतों में सामान्य निष्कर्ष
I	जॉब कार्ड आवेदन और निर्गमन पंजी	जॉब कार्ड के लिए प्राप्त आवेदन, पंजीकरण की तिथि और जॉब कार्ड धारक का विवरण दर्ज करने हेतु।	जॉब कार्ड निर्गमन के लिए प्राप्त आवेदन की तिथि तथा जॉब कार्ड के निर्गमन की तिथि का प्रविष्टि नहीं की गई थी।
II	ग्राम सभा बैठक पंजी	ग्राम सभा की बैठकों में लिए गए प्रस्तावों और अनुमोदनों को दर्ज करने हेतु।	पंजी ग्राम पंचायतों में रखा गया था, हालाँकि कुछ प्रस्तावों को इसमें दर्ज नहीं किया गया और उन्हें अलग कागज के पन्नों पर रखा गया था।
III	रोजगार मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान पंजी	रोजगार की मांग की तिथि, प्रदान किए गए रोजगार और मजदूरी भुगतान की जानकारी दर्ज करने हेतु।	पंजियों में रोजगार की मांग की तिथि, प्रदान किए गए रोजगार और मजदूरी या बेरोजगारी भत्ते के भुगतान से संबंधित प्रविष्टियाँ नहीं पाई गईं।
IV	कार्य पंजी	कार्य का विवरण, प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति की राशि, कार्य प्रारंभ/समापन की तिथि, निर्धारित अवधि आदि दर्ज करने हेतु।	पंजियों में प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति की राशि, कार्य प्रारंभ एवं समापन तिथि, तथा निर्धारित अवधि से संबंधित प्रविष्टियाँ अधूरी पाई गईं।
V	अचल परिसंपत्तियों का पंजी	संपत्ति निर्माण और कार्य पूर्ण होने की तिथि आदि का विवरण दर्ज करना।	पंजी ग्राम पंचायतों में रखा गया था, हालाँकि सभी परिसंपत्तियों के लिए स्वीकृति तिथि और समापन तिथि जैसी जानकारी प्रविष्ट नहीं की गई थी।
VI	शिकायत पंजी	जनता या लाभार्थियों से कार्यों से संबंधित प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने हेतु।	शिकायत पंजी में की गई कार्रवाई का विवरण और संबंधित तिथियाँ दर्ज नहीं की गई थीं।
VII	सामग्री पंजी	कार्य में प्रयुक्त सामग्री और मजदूरी पर हुए व्यय को दर्ज करने हेतु।	पंजी ग्राम पंचायतों में रखा गया था, हालाँकि वास्तव में खरीदी गई सामग्री का विवरण दर्ज नहीं किया गया। इसके बजाय प्रविष्टियाँ अनुमानित निष्पादित मात्राओं के आधार पर की गईं।

(स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संकलित)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्राम सभा बैठक पंजी, मजदूरी भुगतान पंजी, शिकायत पंजी तथा स्थायी परिसंपत्ति पंजी जैसे प्रमुख पंजी तो संधारित थे, लेकिन ये अधूरे थे, निर्धारित प्रारूप में नहीं थे या उनमें आवश्यक विवरण दर्ज नहीं किए गए थे। ये खामियाँ मनरेगा के अभिलेखों के संधारण और निगरानी में कमजोरियों की ओर संकेत करती हैं, जो संभावित रूप से पारदर्शिता को प्रभावित कर सकती है।

सरकार द्वारा बताया गया (जुलाइ 2025) कि पंजियों के संधारण में पाई गई कमियों को दूर करने और समय पर अद्यतन सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर के अधिकारियों को निरीक्षण और निगरानी के लिए विशिष्ट जिलों का दायित्व सौंपा गया है।

7.2 छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सामाजिक अंकेक्षण

मनरेगा की एक अभिनव विशेषता परियोजना कार्यान्वयन में निरंतर सार्वजनिक-सतर्कता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण का संस्थागतकरण है। मनरेगा की धारा 17 के अनुसार, ग्राम सभा ग्राम पंचायत में उपलब्ध सभी प्रासंगिक अभिलेखों का उपयोग करते हुए कार्यों की निगरानी करने तथा नियमित अंकेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है।

छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की स्थापना मार्च 2014 में छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी, ताकि मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निधियों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना था।

7.2.1 छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के लिए निधियाँ

सामाजिक अंकेक्षण के लिए निधियाँ राज्य को प्रशासनिक व्यय मद के रूप में मिलने वाले छः प्रतिशत हिस्से से प्रदान की जानी चाहिए, कुल व्यय का 0.5 प्रतिशत राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई सामाजिक अंकेक्षण के लिए आवंटित किया जाना निर्धारित है। वर्ष 2019-24 के दौरान निधि और उनके उपयोग को **तालिका 7.3** में दिया गया है।

तालिका 7.3: छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के लिए वर्ष 2019-24 की अवधि में आवंटन और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मनरेगा योजना पर किया गया व्यय	अधिनियम के अनुसार आवश्यक निधि	प्रारंभिक शेष	ब्याज एवं अन्य आय	अनुदान	कुल उपलब्ध निधि	किया गया व्यय	अंतशेष
2019-20	2932.78	14.66	3.61	0.12	7.61	11.34	9.35	1.99
2020-21	4419.35	22.1	1.99	0.59	13.91	16.49	9.28	7.21
2021-22	3911.00	19.56	7.21	0.07	0.00	7.28	6.60	0.68
2022-23	3720.00	18.6	0.67	0.01	13.39	14.14	9.04	5.10
2023-24	3474.20	17.37	5.10	0.04	4.26	9.43	8.28	1.15
कुल	**18457.33**	**92.29**	**18.58**	**0.83**	**39.17**	**58.68**	**42.55**	**16.13**

(स्रोत: छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा प्रदान किये गए आंकड़े)

वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान, मनरेगा योजना के तहत ₹ 18,457.33 करोड़ का व्यय किया गया। अधिनियम के अनुसार, सामाजिक अंकेक्षण के लिए कुल ₹ 92.29 करोड़ की निधि आवश्यकता के विरूद्ध केवल ₹ 39.17 करोड़ की अनुदान राशि भारत सरकार द्वारा जारी की गई, जो आवश्यक राशि का मात्र 42 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 में ₹ 19.56 करोड़ की निधि की आवश्यकता के बावजूद कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। मानव संसाधन की कमी और निधियों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप सामाजिक अंकेक्षण करने में 4.55 से 99.97 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण कमी हुई, जैसा कि **कंडिका 7.2.2** और **7.2.3** में चर्चा की गई है।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि निधियाँ अधिकांशतः वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त होती थीं, इसलिए उसी वर्ष में व्यय नहीं किया जा सका और केवल उपलब्धता परिलक्षित होती थी। वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा कोई आवंटन जारी नहीं किया गया था, जिसके कारण वर्ष 2022-23 में व्यय का भुगतान किया गया। शासन ने सामाजिक अंकेक्षण गतिविधियाँ वर्ष में दो बार आयोजित करने के लिए निर्धारित आवंटन (निधियाँ) के समय पर जारी किए जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है।

7.2.2 सामाजिक अंकेक्षण इकाई में मानव संसाधन नियोजन

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.2.2 के अनुसार, सामाजिक अंकेक्षण इकाई सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने में ग्राम सभा को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, जनपद संसाधन व्यक्ति और ग्राम स्तर संसाधन व्यक्ति की उचित संख्या की पहचान करनी चाहिए। सितम्बर 2025 तक स्वीकृत विभिन्न पदों और पदस्थों की स्थिति का विवरण **तालिका 7.4** में दी गई है।

तालिका 7.4: छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई में स्वीकृत पदों और कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

स्तर	पदाधिकारी	स्वीकृत पद	पदों पर कार्यरत व्यक्ति	कमी	कमी (प्रतिशत)
राज्य	संचालक और अन्य प्रशासनिक पद[1]	23	07	16	69.57
जिला	जिला सामाजिक अंकेक्षण समन्वयक	88	17	71	80.68
	डेटा एंट्री फैसिलिटेटर	50	16	34	68.00
जनपद	जनपद सामाजिक अंकेक्षण फैसिलिटेटर	425	273	142	33.41
योग		**586**	**313**	**263**	**44.88**

(स्रोत: संचालक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा प्रदान की गई जानकारी और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि कुल 586 स्वीकृत पदों में से 263 पद (45 प्रतिशत) रिक्त थे। राज्य स्तर पर रिक्तियाँ स्वीकृत पदों का 70 प्रतिशत थी, जबकि जिला स्तर पर रिक्तियाँ 68 से 81 प्रतिशत के बीच थी। इसी प्रकार, जनपद स्तर पर 33 प्रतिशत स्वीकृत पद रिक्त थे, जिससे जमीनी स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा। सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण रिक्तियों के कारण प्रत्येक ग्राम पंचायत में समयबद्ध और व्यापक सामाजिक अंकेक्षण करने की क्षमता को सीमित कर सकती है।

सरकार द्वारा कहा (जुलाई 2025) कि भर्ती नियमों की तैयारी शासन स्तर पर प्रक्रिया में है, और भर्ती नियमों के अंतिम रूप देने के बाद ही भर्ती की जाएगी।

[1] संचालक, अपर संचालक, सहायक लेखाधिकारी, सामजिक विकास विशेषज्ञ, प्रबंधक (प्रशासन, वित्त, सूचना प्रोद्योगिकी), प्रशिक्षण समन्वयक, उपप्रबंधक (प्रशासन), प्रशासन सहायक/लेखा सहायक, सहायक प्रोग्रामर, स्टेनो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सामाजिक अंकेक्षण प्रबंधक आदि।

7.2.3 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन में कमी

मनरेगा में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण कम से कम प्रत्येक छः माह में एक बार आयोजित करना अनिवार्य है।

अभिलेखों की जांच (जुलाई 2024) में यह पाया गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने की योजना तैयार नहीं की थी, जो मनरेगा के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है। इस प्रकार, राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने में महत्वपूर्ण कमी देखी गई। वर्ष 2019-24 के दौरान छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की योजना और उसके आयोजन का विवरण **तालिका 7.5** में दिया गया है।

तालिका 7.5: सामाजिक अंकेक्षण की योजना एवं आयोजन की स्थिति

वर्ष	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	योजनाबद्ध सामाजिक अंकेक्षणों की संख्या	छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा लक्षित सामाजिक अंकेक्षणों की संख्या	योजना में कमी	कम से कम एक बार अंकेक्षण किए गए ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	लक्ष्य के विरुद्ध कमी	कम से कम एक बार लेखापरीक्षा न किए गए ग्राम पंचायतों का प्रतिशत
2019-20	11,682	23,364	6951	16,729	6,635	316	4.55
2020-21	11,666	23,332	10945	23,329	3	10,942	99.97
2021-22	11,666	23,332	11494	15,336	7,996	3,498	30.43
2022-23	11,666	23,332	11480	11,838	4,506	6,974	60.75
2023-24	11,662	23,324	11457	11,867	7,722	3,735	32.60

(स्रोत: संचालक, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा प्रदान की गई जानकारी तथा अंकेक्षण द्वारा संकलित)

छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा नियोजित , लक्षित तथा वास्तविक रूप से आयोजित सामाजिक अंकेक्षण का विवरण **चार्ट 7.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 7.1: सामाजिक अंकेक्षण की योजना, लक्ष्य एवं क्रियान्वयन की स्थिति

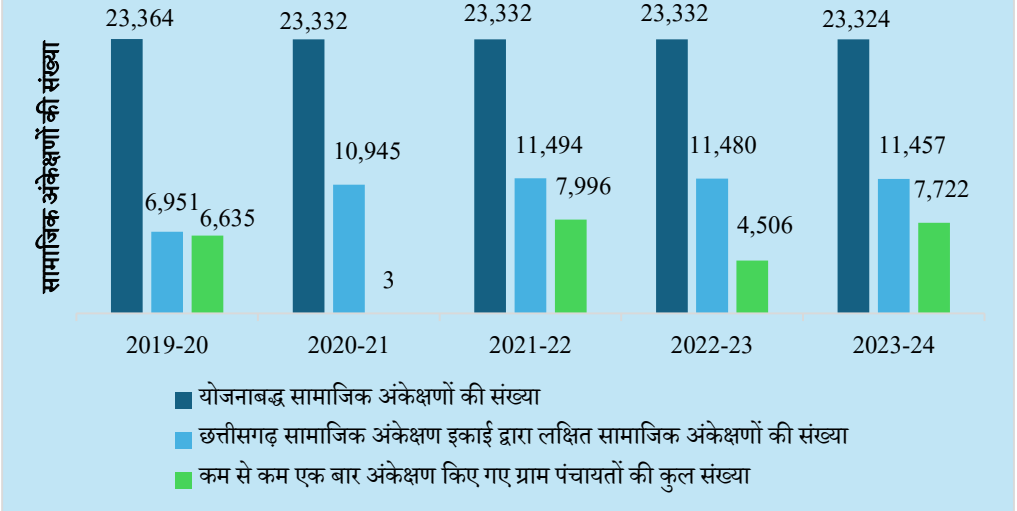

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत सामाजिक अंकेक्षण की वार्षिक योजना, प्रत्येक ग्राम पंचायत को वर्ष में केवल एक बार ही सम्मिलित करते हुए तैयार की गई थी। अभिलेखों की जांच (जुलाई 2024) में यह भी पाया गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन में पाँच से 99.97 प्रतिशत तक की उल्लेखनीय कमी रही। आगे, 48 चयनित ग्राम पंचायतों के अलावा, यह देखा गया कि चयनित जिलों के चार ग्राम पंचायत ऐसे ग्राम पंचायत थे, जहां 2019-24 के दौरान कोई सामाजिक लेखा परीक्षा नहीं की गई थी, जबकि किसी भी ग्राम पंचायत में जैसा कि निर्धारित किया गया था वर्ष में दो बार सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2019-24 के दौरान चयनित 336 कार्यों में से 242 कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किए जाने में विफलता ने योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्यों को विफल कर दिया।

सरकार ने कहा (जुलाई 2025) कि आदर्श आचार संहिता, कोविड-19 महामारी तथा भारत सरकार से निधि आवंटन में हुई देरी के कारण सामाजिक अंकेक्षण गतिविधियाँ प्रभावित हुईं, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कवरेज कम रहा। वित्तीय बाधाओं और लंबित भुगतानों के बावजूद, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए यथासंभव सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किए गए।

7.2.4 सामाजिक अंकेक्षण टिप्पणियों का निपटान लंबित रहना

परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुच्छेद 13.4.2 में यह प्रावधान है, जिला कार्यक्रम समन्वयक, यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 7.6** में दी गई है।

तालिका 7.6: राज्य में सामाजिक अंकेक्षण टिप्पणियों की लंबित स्थिति

वर्ष	उल्लेखित टिप्पणियाँ	निस्तारित टिप्पणियाँ	लंबित टिप्पणियाँ	लंबित टिप्पणियाँ (प्रतिशत)
2019-20	13860	9695	4165	30.05
2020-21	3	3	0	0.00
2021-22	16987	10049	6938	40.84
2022-23	11298	4386	6912	61.18
2023-24	20729	5053	15676	75.62
योग	**62877**	**29186**	**33691**	**53.58**

(स्रोत: छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

संचालक, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई के अभिलेखों की जांच से यह पता चला कि वर्ष 2019-24, के दौरान कुल 62,877 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ उठाई गई, जिनमें से 33,691 टिप्पणियाँ (54 प्रतिशत) निस्तारित नहीं की गई, राज्य स्तर पर लंबित टिप्पणियों का प्रतिशत

वर्ष 2019-20 में 30 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 76 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांच किये गए 48 ग्राम पंचायतों में 314 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ उठाई गईं, जिनमें से 124 टिप्पणियाँ अभी भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु लंबित थीं। यह स्थिति सामाजिक अंकेक्षण टिप्पणियों के प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव तथा लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निस्तारण नही होने को दर्शाती है।

सरकार ने बताया (जुलाई 2025) कि शेष लंबित प्रकरणों का निरंतर कार्यवाही किया जा रहा है तथा उनका निस्तारण किया जा रहा है। तथापि, यह उत्तर सामाजिक अंकेक्षण टिप्पणियों के लंबित मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि तथा अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई को संबोधित नहीं करता है।

7.2.5 सामाजिक अंकेक्षण में उठाए गए वित्तीय दुर्विनियोजन संबंधी मामलों की वसूली

वित्तीय हानि के मामले में, हानि की राशि को अतिरिक्त राज्य दायित्व के रूप में माना जाएगा। गबन/दुर्विनियोजन राशि की वसूली होने पर उसे राज्य रोजगार गारंटी निधि में जमा किया जाएगा (या यदि राज्य के पास राज्य रोजगार गारंटी निधि नहीं है तो जिला स्तर पर मनरेगा कोष में) और राज्य के दायित्व को तदनुसार समायोजित किया जाएगा।

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान वित्तीय दुर्विनियोजन वर्ष 2019-24 के दौरान तय किए गए मामलों में वर्षवार वसूली की गई राशि का विवरण **तालिका 7.7** में दिया गया है।

तालिका 7.7: प्रतिवेदित की गई वित्तीय दुर्विनियोजन संबंधी मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्तीय दुर्विनियोग के मामलों की संख्या	सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा प्रतिवेदन किए गए निर्णय किए गए मामलों की राशि	निर्णय किए गए मामलों की संख्या	अंतिम वसूल योग्य राशि	वसूली किए गए मामलों की संख्या	वसूली की गई राशि	वसूली के लिए लंबित राशि
2019-20	3751	11.66	2078	4.34	2027	4.18	0.16
2020-21	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2021-22	4539	15.87	2188	3.93	2144	3.79	0.15
2022-23	3034	8.43	1531	2.91	1471	2.81	0.12
2023-24	3954	10.61	1594	2.38	1521	2.26	0.13
कुल	**15278**	**46.57**	**7391**	**13.56**	**7163**	**13.04**	**0.56**

(स्रोत: छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सूचना प्रबंधन प्रणाली आंकड़े)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कुल 15,278 दुर्विनियोजन के मामले जिनकी राशि ₹ 46.57 करोड़ थी, पहचाने गए। इनमें से 7,391 मामले जिनकी राशि

₹ 13.56 करोड़ थी, वसूली योग्य माने गए और सूचना प्रबंधन प्रणाली प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2019-24 के दौरान ₹ 13.04 करोड़ की राशि वसूल की गई।

हालाँकि लेखापरीक्षा ने यह पाया कि सूचना प्रबंधन प्रणाली के प्रतिवेदनों में अक्टूबर 2024 तक ₹ 13.04 करोड़ की राशि वसूल दर्शाई गई थी, यह राशि न तो राज्य रोजगार गारंटी कोष में जमा की गई और न ही भारत सरकार को प्रस्तुत वित्तीय विवरणों या उपयोगिता प्रमाणपत्रों में परिलक्षित हुई। आयुक्त, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् ने वर्ष 2021 में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वसूली गई राशि राज्य स्तर पर संधारित एकल बैंक खाते में जमा की जाए। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उक्त खाते की रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था, एवं बैंक स्टेटमेंट में 13 फरवरी 2025 तक कुल वसूली ₹ 13.04 करोड़ के बावजूद केवल ₹ 3.79 करोड़ का अंतिम शेष पाया गया था।

सरकार ने बताया (जुलाई 2025) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितताओं के निवारण के लिए मनरेगा योजना के तहत लगातार वसूली बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें अब तक ₹ 13.88 करोड़ का 96 प्रतिशत वसूला जा चुका है और शेष ₹ 0.50 करोड़ की वसूली हेतु कार्रवाई जारी है। सूचना प्रबंधन प्रणाली में प्रतिवेदित की गई राशि और बैंक स्टेटमेंट के बीच अंतर का सत्यापन संबंधित जिले द्वारा किया जाएगा।